राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(विधि, न्याय और विधायी कार्य विभाग)
8वां स्तर, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, आई.पी.एस्टेट,
नई दिल्ली-110002

फा0संख्या-____________-न्यायिक/ 11(21)/Admn/LJ&LA/2025/2812-13 दिनांक 21/3/25

सेवा में,

श्रीमान् उपसचिव प्रश्न शाखा,
पुराना सचिवालय दिल्ली
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

विषयः– दिनांक 24.03.2025 को सूचीबद्ध अतारांकित प्रश्न संख्या 61

महोदय,

उपरोक्त विषयक में आपके पत्र संख्या सं.एफ.11(बी–1)VIII /2025–30 / वि.स.स. / प्रश्न शा. / 2062 दिनांक 15.03.2025 जिसमें विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग से प्रश्नों का जवाब मांगा गया, जो कि इस पत्र के साथ संलग्न है।

इस मुद्दे पर माननीय विधि एवं न्याय मंत्री जी की पूर्व स्वीकृति ली गई है।

उत्तम कु० अरोड़ा
21/3/2025
उपसचिव(प्रशासन)

संलग्नः– उपरोलिखित

फा0संख्या-____________-न्यायिक/ दिनांक

प्रतिलिपिः– निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय
पुराना सचिवालय दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार (150 प्रति संलग्न)

उत्तम कु० अरोड़ा
21/3/2025
उपसचिव(प्रशासन)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(विधि, न्याय और विधायी कार्य विभाग)
8वां स्तर, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, आई.पी.एस्टेट,
नई दिल्ली-110002

अतारांकित प्रश्न संख्या:— **61**
दिनांक:— **24.03.2025**
प्रश्नकर्त्ता का नाम:— चौधरी जुबेर अहमद
क्या मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

प्रश्न	उत्तर
61(क) मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना के अंतर्गत क्या सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं,	मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना के तहत अधिवक्ताओं को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जाती है: (i) अधिवक्ताओं के लिए समूह (अवधि) बीमा, जिसमें प्रति अधिवक्ता 10,00,000/- (दस लाख रुपये) का Life Cover (जीवन बीमा) प्रदान किया जाता है। (ii) अधिवक्ताओं, उनके पति/पत्नी और 25 वर्ष की आयु तक के दो आश्रित बच्चों के लिए ग्रुप मेडी-क्लेम कवरेज, जिसमें 5,00,000/- (5 लाख रुपये) की पारिवारिक फ्लोटर (family floter) बीमा राशि प्रदान किया जाता है।
(ख) इस योजना के अंतर्गत 'टर्म इंश्योरेंस' के रूप में प्रदान की जाने वाली राशि क्या है;	इस योजना के अंतर्गत प्रति अधिवक्ता 10,00,000/- (दस लाख रुपये) का Life Cover (जीवन बीमा) प्रदान किया जाता है।
(ग) इस योजना के अंतर्गत अधिवक्ताओं को कितना वार्षिक 'स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है, और	इस योजना के अंतर्गत अधिवक्ताओं, उनके पति/पत्नी और 25 वर्ष की आयु तक के दो आश्रित बच्चों के लिए ग्रुप मेडी-क्लेम कवरेज, जिसमें 5,00,000/- (5 लाख रुपये) की पारिवारिक फ्लोटर (Family floter) बीमा राशि प्रदान किया जाता है।
(घ) 'टर्म तथा 'स्वास्थ्य बीमा' सहित इस योजना के अंतर्गत लाभान्वितों की प्रतिवर्ष संख्या क्या है?	इस योजना से लाभान्वित अधिवक्ताओ की की प्रतिवर्ष संख्या (पॉलिसी की अवधि के अनुसार) इस प्रकार से है :- (i) समूह (अवधि) बीमा पॉलिसी (ii) ग्रुप मेडी-क्लेम पॉलिसी (see tables below)

(i) समूह (अवधि) बीमा पॉलिसी

पॉलिसी की अवधि	लाभान्वित अधिवक्ताओ की संख्या
20.11.2020 से 19.10.2022	23661
20.10.2022 से 19.10.2023	29674
20.10.2023 से 19.10.2024	27378
20.10.2024 से 19.10.2025	30344

(ii) ग्रुप मेडी-क्लेम पॉलिसी

पॉलिसी की अवधि	लाभान्वित अधिवक्ताओ की संख्या
10.12.2020 से 15.05.2022	24033
16.05.2022 से 15.05.2023	30483
16.05.2023 से 15.05.2024	27746
16.05.2024 से 15.05.2025	30379

सतीश सिंह

प्रधान सचिव
(विधि,न्याय एवं विधायी कार्य)